कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), कटिहार
जिला– कटिहार

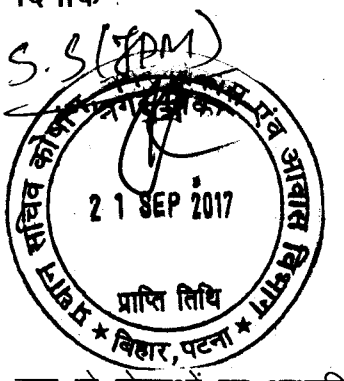

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार के प्रारंभ से जनवरी 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 14/17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14686/207 दिनांक– 19.09.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, कटिहार

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

सामाजिक प्रक्षेत्र- I

निरीक्षण प्रतिवेदन सं:- 14/17-18

भाग-I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम:	जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार
2	कार्यालय प्रधान का नाम एवं पदनाम:	श्री उपेन्द्र कुमार
3	लेखा की अवधि:	शुरू से जनवरी 2017
4	लेखापरीक्षा की अवधि:	04.02.2017 से 13.02.17
5	लेखापरीक्षा दल के सदस्य:	श्री विकास कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री राजीव रंजन, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री विकास कुमार, वरीय लेखापरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह, लेखा परीक्षक
6	निरिक्षण अधिकारी का नाम	श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
7	लेखापरीक्षा का क्षेत्र:	शुरू से माह जनवरी 2017 के लेखाओं की नमूना जाँच की गई। माह मार्च एवं अगस्त के लेखाओं की विस्तृत जाँच कोषागार से किए गए आहरणों एवं कोषागार में जमा की गई राशियों का सत्यापन कोषागार के अभिलेखों से किया गया। मार्च एवं अगस्त के लेखाओं की अंकगणितीय जाँच की गई। इसी क्रम में उपलब्ध कराए गए अन्य अभिलेखों के साथ–साथ इस कार्यालय में पदस्थाकर्मियों के उपलब्ध कराए गए सेवा पुस्तिकाओं की भी जाँच की गई।
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्तमान स्थिति	प्रथम अंकेक्षण
9	क्या कार्यालय प्रधान से विचार विमर्श किया गया था?	हॉ

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन- जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/ कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

लेखापरीक्षा दल के प्रभारी अधिकारी का हस्ताक्षर

भाग– II (क)– शून्य

भाग– II (ख)

कंडिका:–1 प्रशासनिक स्वीकृति के बावजूद कार्य नहीं किया जाना (₹26.80 लाख)

सरकार अपने एक महात्वाकांक्षी योजना के तहत आमजन की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराना एवं पिछड़ेपन को दूर करना पहली प्राथमिकता होती है। इसी प्राथमिकता को सुदृढ बनाये रखने के लिए एवं उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजनाएं स्वीकृत की जाती है। योजनाएं स्वीकृति के साथ एक निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होता है ताकि उद्देश्य की पूर्ति एवं उसका लाभ ससमय लाभुकों को प्राप्त हो सके।

जिला शहरी विकास अभिकरण कटिहार के द्वारा अंकेक्षण दल को उपलब्ध करायी गयी मासिक प्रगति प्रतिवेदन (जनवरी 2017) के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि तीन योजनाएं ऐसी है, जिसे कार्यान्वित करने के लिए जिला समाहरणालय, द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इन तीन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निविदा तो निकाली गयी, कार्यादेश भी निर्गत किया गया परन्तु चयनित संवेदक द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया कि स्थल की अनुपब्लधता के कारण कार्य चयनित स्थल पर कार्यान्वित करना संभव नहीं है। अथार्त कार्य नहीं किया जा सका जबकि इन सभी योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत राशि जिला शहरी विकास अभिकरण कटिहार को उपलब्ध करायी जा चुकी है। राशि जिला शहरी विकास अभिकरण कटिहार के बैंक खाता में जमा की गयी। विवरणी इस प्रकार है।

कम सं0	पत्र सं0 / दिनांक	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदित राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वर्तमान में विमुक्त राशि
1	04 / 02.01.17	नगर पंचायत मनिहारी अन्तर्गत वार्ड सं0 14 में पश्चिम टोला मस्जिद के पास एक सामुदायिक भवन का निर्माण का कार्य	2671450.00	2671450.00	1335725.00
2	93 / 10.06.15	सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य सदर अस्पताल के सामने पुलिस क्लब के बगल में	1344500.00	1344500.00	672250.00
3	93 / 10.06.15	चालिसा हाट के निकट रामकंठु विद्यालय के पास सामुदायिक शौचालय का निर्माण का कार्य	1344500.00	1344500.00	672250.00
कुल			**5360450.00**	**5360450.00**	**2680225.00**

अन्तत: स्थल की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इस परिस्थिति में अवरूद्ध राशि ₹2680225 / – जिला पदाधिकारी को वापस किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। सभंव था कि उक्त राशि से जिला पदाधिकारी द्वारा कोई अन्य योजना में राशि विमुक्त की जा सकती थी।

किसी भी कार्य का प्राक्कलन बनाने के पहले स्थल का भौतिक निरीक्षण किया जाता है। जमीन की उपलब्धता एवं विवादरहित होने पर ही प्राक्कलन बनाया जाता है एवं तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती हैं।

उक्त आपत्ति के संबध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर निविदा की कारवाई कार्यालय स्तर पर किया गया, परन्तु संवेदकों के द्वारा स्थल पर विवाद की समस्या बताई गयी। पुनः नए स्थल के चुनाव के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कार्यालय द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी कार्य का प्राक्कलन बनाने के पहले स्थल का भौतिक निरीक्षण किया जाता है। जमीन की उपलब्धता एवं विवादरहित होने पर ही प्राक्कलन बनाया जाता है तथा तकनिकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राक्कलन बनाने के पहले स्थल का भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया था अगर किया जाता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती एवं राशि का अवरोधन नहीं होता एवं योजना के लाभ से आमजन को वंचित नहीं किया जाता।

अतः कार्यालय प्रमुख से अनुरोध है कि नए स्थल के चुनाव की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएं एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय ताकि आमजन को योजना का लाभ हो सकें।

कंडिकाः— 2 ए.सी.पी. ऐरियर (ACP Arrear) का अनियमित भुगतान राशि 2.49 लाख

जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार के लेखाओं के अंकेक्षण के क्रम में पाया गया कि जिला शहरी विकास अभिकरण कटिहार 08.11.2008 से कार्य करना प्रारंभ किया तथा श्री रमेश प्रसाद सिंह, तत्कालिन सहायक अभियंता सह कार्यालय प्रमुख के रूप में योगदान दिया।

कार्यालय द्वारा यह बताया गया कि जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार में योगदान से पहले श्री रमेश प्रसाद सिंह RCD- Hazipur में कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत थे।

आगे संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि श्री सिंह को अगस्त 1999 से से सितम्बर 2008 की अवधि का ए.सी.पी. ऐरियर (ACP Arrear) राशि ₹249067/— का भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार है—

क्रम सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि
1	455512	12.01.12	159986.00
2	455513	12.01.12	4382.00
3	455515	12.01.12	84699.00
कुल			**249067.00**

अंकेक्षण आपत्तिः–

1. जिला शहरी विकास अभिकरण, नगर आवास एवं विकास विभाग का एक अंग है जबकि RCD-Hazipur लोक निमार्ण विभाग का एक अंग है। अर्थात दोनों अलग अलग विभाग है। जब जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार 08.11.2008 से कार्यरत था एवं श्री सिंह अगस्त 1999 से सितम्बर 2008 की अवधि में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत थे तो नगर आवास एवं विकास विभाग के Head से किसी दूसरे विभाग में कार्य करने का ए.सी.पी. ऐरियर (Acp Arrear) का भुगतान किस नियम के तहत किया गया।

   इस संबंध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि श्री रमेश प्रसाद सिंह तत्कालीन सहायक अभियंता सह कार्यालय प्रमुख से पत्राचार कर अध्यतन स्थिति से महालेखाकार कार्यालय को सुचित किया जाएगा।

   अतः कार्यालय प्रमुख से यह अनुरोध है कि संबंधित व्यक्ति से पत्राचार कर अध्यतन स्थिति से महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाय।

कंडिकाः– 3 कार्य का नाम :- समाहरणालय से जिला अतिथि गृह तक सड़क का सौदर्यीकरण कार्य

एग्रीमेंट न० : 12/F2/2014-15

संवेदक का नाम : श्री राजेश कुमार

प्राक्कलित राशि : ₹75,45,727/-

एकरारनामा की राशि :- ₹75,04,225/- (.55% नीचे)

कार्यादेश की तिथि : 16.01.2015

कार्य समाप्ति की तिथि : 15.05.2015

संवेदक को हुआ भुगतान :- ₹64,49,722/-

(i) खनन सामग्रियों के ढुलाई पर अनियमित भुगतान राशि - ₹4.11 लाख

बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40 (10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र एम तथा एन एवं चालान संवेदक को प्रमण्डल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियंता उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है।

योजना से सम्बंधित संचिका के जाँच के क्रम में यह पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के ढुलाई मद में बिना प्रपत्र एम व एन तथा चालान की प्रति कें सत्यापन किये ही संवेदक को कुल रु.4,11,309/- का भुगतान किया गया जो नियमों के प्रतिकूल था । विवरण इस प्रकार है:–

Sl.No.	Name of Material	Quantity	Rate of Carriage	Amount (Rs.)
1	C Sand	29.20 m3	1362.83 /m3	39795
2	Stone agregate	236.68 m3	1197.26 /m3	2,83,367
3	local sand	264.97 m	205.29/m3	54396
4	C.C. Block	85,466	394.91/1000	33751
				4,11,309

(ii) बिटुमिन की आपूर्ति पर अनियमित भुगतान :- रु.12.76 लाख

कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार द्वारा बिटुमिन के आपूर्ति हेतु चीफ डीवीजनल मैनेजर को लिखे गए पत्र जिसका पत्रांक संख्या 55 दिनांक 06.02.2015 है, के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कार्यपालक अभियंता द्वारा 30 ग्रेड वाले 38.12 MT बिटुमिन का डिलीवरी आर्डर संवेदक श्री राजेश कुमार के नाम से निर्गत करने का अनुरोध किया गया | बिटुमिन के आपूर्ति से सम्बंधित इनवॉइस (invoice) तथा अन्य अभिलेख के अवलोकन से प्रकाश में आया कि संवेदक द्वारा वांछित ग्रेड का बिटुमिन का उपयोग नहीं किया है जिसका विवरण निम्न है :-

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	मात्रा	दर	कुल भुगतान (विभिन्न कर सम्मिलित)	ग्रेड
1	Universal Bituminous industries Private limited	8.2 MT	42,500	418691	बिटुमिन 20/30
2	Universal Bituminous industries Private limited	14.962 MT	39765	638863	बिटुमिन 10/20
3	Universal Bituminous industries Private limited	14.960 MT	39765	636782	बिटुमिन 10/20
				1694336	

अतः 29.92 एम.टी. बिटुमिन वांछित विशिष्टयों में क्रय नहीं किया गया। उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में लेखा दल के निर्देशानुसार संवेदक से एम एवं एन फार्म प्राप्त कर ही भुगतान किया जाएगा। हालांकि संवेदक ने प्रस्तावित दर पर स्वामित्व कर कांट कर ही भुगतान किया जाता है तथा रोड निर्माण कार्य में दोनों ग्रेड की आवश्यकता थी। इसलिए आवश्यकतानुसार दोनों ग्रेड बिटुमिन लिया गया था। जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि नियमों का अनदेखा कर कार्य कराया गया।

कंडिकाः— 4 विभिन्न योजनाओं के अपूर्ण कार्य पर व्यय रू0 64.02 लाख

सरकार का अपने महात्वाकांक्षी योजना के तहत आमजनों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराना एवं पिछड़ेपन को दूर करना पहली प्राथमिकता होती है। इसी प्राथमिकता को सुदृढ बनाये रखने के लिए एवं उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजनाएं स्वीकृत की जाती है। जिसे योजनाएं स्वीकृति के साथ एक निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होता है ताकि उद्देश्य की पूर्ति एवं उसका लाभ ससमय लाभुकों को प्राप्त हो सके।

जिला शहरी विकास अभिकरण कटिहार के द्वारा अंकेक्षण दल को उपलब्ध करायी गयी मासिक प्रगति प्रतिवेदन (जनवरी 2017) के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि योजनाएं अपने निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं हो सकी। फलस्वरूप इन योजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति ससमय लाभुकों को नहीं मिल सका। उपरोक्त सभी कार्य अपूर्ण रहने के कारण शासकीय राशि रू. 6402311/— का निष्फल/निरर्थक व्यय किया गया। जिसके कारण जनउपयोगी कार्य सम्पादित नहीं किया जा सका।

विदित हो कि उक्त सभी योजनाओं के कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 03 माह ही थी परन्तु कार्य अंकेक्षण की समाप्ति तक पूर्ण नहीं किया जा सका।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जायेगें। अतः कार्यालय प्रमुख से यह अनरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम जल्द से जल्द उठाए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय ताकि सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ आमजन को हो सके ताकि उनका आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हो सके।

कंडिकाः— 5 मनिहारी शहर में मिलिक रेलवे गुमटी से सुबोल चौधरी के घर होते हुए दीप नारायण यादव के घर तक सड़क निमार्ण कार्य की समीक्षा

एन.आई टी सं. — 02/2013—14
योजना का नाम— मनिहारी शहर में मिलिक रेलवे गुमटी से सुबोल चौधरी के घर होते हुए दीप नारायण यादव के घर तक सड़क निमार्ण कार्य।
प्राकलित राशि — ₹3723800/—
एकरारनामा सं0 एवं वर्ष — 13एफ—2/2013—14
एकरारनामा की तिथि — 25.01.14
एकरारित राशि —₹3520435/—
एजेन्सी का नाम— श्री राजेश कुमार
कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि — 25.01.2014/20.05.2014
कार्यादेश की तिथिः— 792/02.12.13

1. बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र एम तथा एन एवं चालान संवेदक को प्रमण्डल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियंता उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है। उपरलिखित योजना से

संबंधित उपलब्ध कराई गई संचिका, मापीपुस्त के जॉच के कम में पाया गया कि चतुर्थ on account bill के memorandum of Payment में निम्नलिखित खनिज संपदाओं पर ढुलाई में खर्च दिखाया गया था जबकि फार्म एम0 एवं एन0 संवेदक के द्वारा नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया था। संबंधित योजना संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि कार्यालय द्वारा इस तरह की कोई मांग संवेदक से नहीं की गयी थी। फार्म एम0 एवं एन0 की अनुपलब्धता में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि खनिज संपदा कहॉ से क्रय की गई थी जिस पर ढुलाई का खर्च रू0 894034 का भुगतान किया गया था। फार्म की अनुपलब्धता की स्थिति में भुगतान 894034 अनियमित प्रतीत होता है। विवरणी निम्न प्रकार है।

कम सं0	मापी पुस्त की पृष्ट सं0	ईट	लोकल बालु (एम क्यु)	स्टोन चिप्स (एम क्यु)
1	2			209.64
2	5		96.07	192.15
3	9		30.878	80.823
4	19	42425	79.17	219.42
5	कुल	42425	206.12	702.033
	दर	492.88 प्रति हजार	1536.82	792.49
	कुल राशि	**20910.43**	**316769.34**	**556354.13**

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि आगामी कियान्वित होने वाले योजनाओं में संवेदक से अंकेक्षण के सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रपत्र 'ए' तथा 'एन' प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा वैसे पूर्व की सभी योजनाओं पर रॉयल्टी काट कर ही भुगतान किया गया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन नहीं किया गया।

कंडिकाः— 6 आयकर की कटौती नहीं करने से अधिक भुगतान राशिः— 0.58 लाख

केन्द्र या राज्य सरकार या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत गठित कोई सोसायटी अगर किसी व्यक्ति या संस्था को यात्री या सामान ढोने के लिए राशि का भुगतान करता है तो आयकर अधिनियम–1961 की धारा 194 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार आयकर की कटौती करने के बाद ही अन्तिम भुगतान किया जाएगा।

अगर पैन संख्या यात्री या सामान ढोने वाले व्यक्ति के नाम पर निर्गत है तो कुल भुगतान का 1 प्रतिशत, अगर संस्था के नाम पर निर्गत है तो 2 प्रतिशत परन्तु उस व्यक्ति या संस्था ने कांट्रैक्ट के समय या भुगतान के पहले पैन संख्या कार्यालय को समर्पित नहीं किया है तो कुल भुगतान का 20 प्रतिशत कटौती करने के बाद ही अंतिम भुगतान किया जाना चाहिए।

जिला शहरी विकास अभिकरण कटिहार कार्यालय के लेखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कार्यालय में एक गाड़ी कार्यपालक अभियंता के लिए किराये पर ली गयी हैं।

कम सं0	गाड़ी सं0	अभियुक्ति
1	JH-10-S-2064	Scorpio

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न रोकड़ बहियों के अवलोकन से यह पता चला कि उक्त गाड़ी पर अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹288150 /– का व्यय किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

कम सं0	राशि	दिनांक
1	14950.00	04.09.13
2	15600.00	05.08.13
2	14300.00	02.12.13
3	13650.00	06.01.14
4	16900.00	21.02.14
5	15600.00	29.09.14
6	14950.00	7.03.14
7	18850.00	29.04.14
8	17750.00	3.06.14
9	15600.00	2.07.14
10	18850.00	1.09.14
11	16900.00	19.11.14
12	16900.00	10.12.14
13	16900.00	2.01.15
14	12350.00	4.02.15
15	18200.00	3.03.15
16	16900.00	8.04.15
17	13000.00	18.05.15
कुल	288150.00	

अंकेक्षण आपत्तिः–

1. प्रस्तुत की गयी संचिकाओं में किसी भी वाहन मालिक द्वारा पैन सं0 की छाया प्रति संलग्न नहीं पायी गयी। इस परिस्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 194/सी/1 के अन्तर्गत कुल भुगतान का 20 प्रतिशत की कटौती अथार्त राशि ₹230520/– करके ही अंतिम भुगतान करना चाहिए था, परन्तु भुगतान ₹2888150/– किया गया। अथार्त राशि ₹57630/– का अधिक भुगतान किया गया।
2. बिहार सरकार की विभागीय अधिसूचना सं0– 873 दि0 6 मई 1977 एवं 1596 दि0– 10 जून 1980 के अनुसार आपातकालीन परिस्थितियों यथा बाढ़, भूकम्प इत्यादि को छोड़कर सादे कागज पर भुगतान नहीं किया जाना है तथा सामग्रियों के क्रय से संबंधित अभिश्रव पर मशीन नंबर (रसीद पर) तथा निबंधन संख्या अंकित होना चाहिए। साथ ही हस्त रसीद फार्म– 28 का व्यवहार

सुरक्षित राशि का भुगतान संवेदक को, मजदूरों को अभुगतेय राशि का भुगतान एवं भविष्य निधि से अग्रिम भुगतान में किया जाना चाहिए। परंतु संचिका के जॉच में पाया गया कि कुल रू 287950 का भुगतान हस्त रसीद पर किया गया था।

उक्त आपत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि संबंधित वाहन मालिक से अधिक भुगतान की गयी राशि के सामंजन की अग्रेतर कारवाई की जाएगी।

अतः कार्यपालक अभियंता सह कार्यालय प्रमुख से यह अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

कंडिका:–7 वैट की कटौती नहीं किए जाने से अधिक भुगतान राशि –0.15 लाख

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 40 एवं 41 जो बिहार वैट नियमावली के नियम 28 एवं 29 के साथ पठित है के अनुसार किसी भी सरकारी खरीद पर उक्त नियम के अनुसार वैट के प्रस्तावित दर के अनुसार अंतिम भुगतान के समय राशि की कटौती कर संबंधित विभाग में जमा सुनिश्चित व र्यालय स्तर पर ही किया जाना चाहिए।

परन्तु जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय कटिहार के अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि भोपालिका ट्रेडिंग एजेंसी से गोदरेज निर्मित कुछ उपस्कर की खरीदारी की गयी एवं राशि ₹122937/– का भुगतान भी किया गया। विवरणी इस प्रकार है।

कम सं0	सामान का नाम	वैट रहित राशि	वैट की दर	वैट की राशि	कुल भुगतेय राशि
.1	कुर्सी एवं टेबुल	22766/–	13.5	3073	25839/–
2	कुर्सी एवं टेबुल	26405/–	13.5	3565	29970/–
3	कुर्सी एवं टेबुल	46631/–	13.5	6295	52926/–
4	कुर्सी एवं टेबुल	12513/–	13.5	1689	14202/–
	कुल	**108315**		**14622**	122937

अधिक भुगतान के संबंध में कार्यालय द्वारा यह जबाब दिया गया कि आपूर्तिकर्त्ता भोपालिका ट्रेड़िग ऐजेंसी द्वारा जमा कराये गए वैट की राशि का साक्ष्य प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाएगा।

अतः कार्यालय प्रमुख से यह अनुरोध है कि आपूर्तिकर्ता भोपालिका ट्रेडिंग एजेंसी से जमा का साक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाए, अगर राशि जमा नहीं की गयी है तो उक्त नियमानुसार संबंधित व्यक्ति से राशि की वसूली कर संबंधित कोष में जमा करायी जाए ताकि सरकार को सरकारी राजस्व की हानि से बचाया जा सके।

कंडिका:– 8 वार्ड सं0 36 अन्तर्गत नाला रोड फुलवारी में वशिष्टमणि तिवारी के घर से विभीषण सहनी, रामाशीष पोद्दार एवं गोपाल पोद्दार के घर होते हुए परिमल मंडल के घर तक क्षतिग्रस्त नाला का जिर्णोद्धार एवं पी.सी.सी. पथ का निमार्ण कार्य की समीक्षा

एन.आई टी सं. – 02/2013–14 (ग्रप सं0–5)
योजना का नाम– वार्ड सं0 36 अन्तर्गत नाला रोड फुलवारी में वषिष्टमणि तिवारी के घर से विभीषण सहनी, रामाशीष पोद्दार एवं गोपाल पोद्दार के घर होते हुए परिमल मंडल के घर तक क्षतिग्रस्त नाला का जिर्णोद्धार एवं पी.सी.सी. पथ का निमार्ण कार्य ।
प्राकलित राशि – 4731400/–
एकरारनामा सं0 एवं वर्ष – 17एफ–2013–14
एकरारनामा की तिथि – 24.02.14
एकरारित राशि –4205488/–
एजेन्सी का नाम– श्री राजेश कुमार
कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि – 24.02.2014/23.08.2014
कार्यादेश की तिथि:– 821/27.12.13

1. बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40 (10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र एम तथा एन एवं चालान संवेदक को प्रमण्डल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियंता उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है। उपरलिखित योजना से संबंधित उपलब्ध कराई गई संचिका, मापीपुस्त के जॉच के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ on account bill के memorandum of Payment में निम्नलिखित खनिज संपदाओं पर ढुलाई में खर्च दिखाया गया था जबकि फार्म एम0 एवं एन0 संवेदक के द्वारा नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया था। संबंधित योजना संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि कार्यालय द्वारा इस तरह की कोई मांग संवेदक से नहीं की गयी थी। फार्म एम0 एवं एन0 की अनुपल्ब्धता में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि खनिज संपदा कहॉ से क्रय की गई थी जिसपर ढुलाई का खर्च रू0 928974.00 का भुगतान किया गया था। फार्म की अनुपलब्धता की स्थिति में भुगतान ₹928974.00 अनियमित प्रतीत होता है। विवरणी निम्न प्रकार है।

क्रम सं0		ईट	लोकल बालु (एम क्यु)	स्टोन चिप्स (एम क्यु)	कोरस बालु
1	मात्रा	109227	48.72	459.35	256.45
2	दर	548.63 प्रति हजार	192.30	1154.09	1285.04
कुल		**59925**	**9369**	**530131**	**329549**

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि आगामी कियान्वित होने वाले योजनाओं में संवेदक से अंकेक्षण के सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रप्रत्र 'एम' तथा 'एन' प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा वैसे पूर्व की सभी योजनाओं पर रॉयल्टी काट

कर ही भुगतान किया गया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन नहीं किया गया।

कंडिका:– 9 प्रशासनिक स्वीकृति के बावजूद कार्य नहीं किया जाना (₹15.37 लाख)

सरकार अपने एक महात्वाकांक्षी योजना के तहत आमजन की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराना एवं पिछड़ेपन को दूर करना पहली प्राथमिकता होती है। इसी प्राथमिकता को सुदृढ बनाये रखने के लिए एवं उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजनाएं स्वीकृति की जाती है। जिसे योजनाएं स्वीकृति के साथ एक निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होता है ताकि उद्देश्य की पूर्ति एवं उसका लाभ ससमय लाभुकों को प्राप्त हो सके।

जिला शहरी विकास अभिकरण कटिहार के द्वारा अंकेक्षण दल को उपलब्ध करायी गयी मासिक प्रगति प्रतिवेदन (जनवरी 2017) के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक योजनाएं ऐसी है, जिसे कार्यान्वित करने के लिए जिला समाहरणालय, द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, 50 प्रतिशत राशि भी जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला शहरी विकास अभिकरण कटिहार को उपलब्ध करायी जा चुकी है। परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस योजना पर राशि खर्च नहीं की गयी है राशि जिला शहरी विकास अभिकरण कटिहार के बैंक खाता में जमा की गयी। विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	पत्र सं0 / दिनांक	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वर्तमान में विमुक्त राशि
1	03 / 02.01.15	वार्ड सं0 1 अंतर्गत भेडिया रहिका से मेडिकल कॉलेज तक जाने वाली पथ में रामचन्द्र चौहान के घर से विनोद राम के घर तक पथ का पी.सी.सी. निर्माण का कार्य	3075900.00	1537950.00
कुल			**3075900.00**	**1537950.00**

स्थल की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका इस परिस्थिति में अवरूद्ध राशि 1537950 / – जिला पदाधिकारी को वापस नहीं करने के कारण से भी दल को अवगत कराये जाने के लिए कहा गया। संभव था कि उक्त राशि से जिला पदाधिकारी द्वारा कोई अन्य योजना में राशि विमुक्त की जा सकती थी।

किसी भी कार्य का प्राक्कलन बनाने के पहले स्थल का भौतिक निरिक्षण किया जाता है। जमीन की उपलब्धता एवं विवाद रहित होने पर ही प्राक्कलन बनाया जाता है एवं तकनिकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती हैं।

उक्त आपत्ति के संबध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि कार्य स्थल पर लगभग पूर्ण है परन्तु संवेदकों के द्वारा मापी पुस्त प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः मापी पूस्त प्राप्त के उपरान्त ही भुगतान किया

जायेगी। कार्यालय द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि कार्य की पूर्णता का कोई साक्ष्य कार्यलय में उपलब्ध नहीं था।

अतः कार्यालय प्रमुख से यह अनुरोध है कि कार्य की पूर्णता के साक्ष्य से महालेखाकार को अवगत करायें या कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप पूर्ण कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाये एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

TAN

टिप्पणी–1 बी.ओ.क्यु से प्राप्त राशि को बैक में रख कर राशि का अवरूद्धीकरण रू0 49.73 लाख

जिला विकास अभिकरण, कटिहार कार्यालय द्वारा अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किए गए बी.ओ.क्यु रोकड़बही, बैक पासबुक एव बी.ओ.क्यु रजिस्टर के अवलोकन से यह पता चला कि 2010 में प्रथम बार दिनांक 09/09/10 को इस कार्यालय में बी.ओ.क्यु की प्राप्ति मनी रसीद सं0 0001 से प्राप्त हुई एवं अन्तिम बी.ओ.क्यु दिनांक 05/08/16 को liquidate किया गया। आगे यह पता चला कि दिनांक 09/09/10 से दिनांक 05/08/16 के बीच में राशि ₹4972778/– बी.ओ.क्यु एवं सूद सहित बैक (यूनियन बैंक खाता सं0 540302010004422) में जमा की गयी, परन्तु as on date today i.e 10.02.17 सभी राशियॉ सूद सहित बैक में रखी हुई है। सरकारी राजस्व को सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए, परन्तु यह पाया गया कि सभी राशि ₹4972778/– कार्यलय द्वारा संधारित बैंक खाते में रखी हुई है। सक्षम पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर इसे सरकारी खाते में जमा करने की कारवाई की जाय।

आगे यह पता चला कि जिला विकास अभिकरण, कटिहार कार्यालय में बी.ओ.क्यु बेचने के समय कार्यालय द्वारा प्राप्ति रसीद (token of receipt) के रूप में संवेदक को निर्गत की जाती है। कार्यालय द्वारा यह बताया गया कि रसीद जिला नजारत से प्राप्त हुई है, परन्तु इससे संबधित कोई भंडार पंजी कार्यालय में संधारित नहीं पाया गया जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कितनी संख्या में रसीद जिला नजारत द्वारा जिला विकास अभिकरण, **कटिहार** कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी एवं कितना रसीद अभी तक token of receipt के रूप में विभिन्न संवेदकों को निर्गत किया गया है। अंकेक्षण के दौरान दल को रसीद सं0 **0001** से **0250 पांच** बुक जांच के लिए उपलब्ध कराया गया।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि बी.ओ.क्यु की राशि सरकारी बैंक में संधारित है सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक दिशानिर्देश प्राप्त कर आगे की कारवाई की जाएगी।

अतः कार्यपालक अभियंता से अनुरोध है कि इस संबंध में सकारात्क प्रयास किए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

टिप्पणी–2 ब्याज की राशि का अवरोधन राशि ₹68.48 लाख

जिला शहरी विकास अभिकरण कटिहार द्वारा अंकेक्षण दल के समक्ष वर्ष 2011 से अद्यतन छः बैंक पासबुक प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पासबुक के अवलोकन में पाया गया कि कार्यलय को ब्याज के रूप में राशि 6847513/– प्राप्त हुई। विवरणी इस प्रकार है।

कम सं0	ब्याज प्राप्ति की तिथि	ब्याज की राषि	बैंक का नाम एवं खाता सं0
1	07.02.11	34211	युनियन बैक खाता सं0 540302010004422
2	04.08.11	235160	
3	04.02.12	190209	
4	03.08.12	138875	
5	04.02.13	119613	
6	03.08.13	88366	
7	14.02.14	89824	
8	03.08.14	92753	
9	01.02.15	96887	
10	02.08.15	101412	
11	09.02.16	108676	
12	07.04.16	36168	
13	04.07.16	56658	
14	03.12.12	33155	यूनाइटेड **बैंक ऑफ़ इंडिया**
15	04.06.13	205430	**खता संख्या०** 0050010219686
16	05.12.13	129476	
17	06.06.14	67129	
18	05.12.14	13992	
19	10.12.15	11408	
20	10.06.16	11611	
21	10.09.16	5951	
22	04.12.16	5945	
23	08.03.12	342196	**पंजाब नेशनल बैंक**
24	06.09.16	466967	खाता **संख्या०** 0282000100269284
25	07.03.13	294681	
26	05.09.13	195462	
27	08.03.14	341005	
28	04.09.14	363482	
29	05.03.15	159669	
30	05.09.15	141440	
31	06.03.16	141806	
32	05.06.16	71678	
33	03.09.16	72249	
34	03.12.16	71204	
35	30.09.14	106753	**आई०डी०बी०आई बैंक(योजना)**
36	31.03.15	347012	**खाता संख्या** 0 0720104000056063
37	30.09.15	141011	
38	31.03.16	75120	
39	25.06.16	36010	
40	24.09.16	38463	
41	24.12.16	38847	
42	31.03.15	11080	**आई०डी०बी०आई**
43	30.09.15	14525	**बैंक(आकिस्मिक)**
44	31.03.16	22378	
45	25.06.16	7720	

46	24.09.16	6413	**खाता संख्या** 0 6720104000067926
47	24.12.16	2558	
48	31.03.15	123725	**आई०डी०बी०आई बैंक(योजना)**
49	30.09.15	570063	**खाता संख्या** 0 0720104000073714
50	31.03.16	378674	
51	25.06.16	174805	
52	24.09.16	118317	
53	24.12.16	99291	
	कुल जोड़	6847513	

सूद की राशि रू0 6847513/– बिना उपयोग के लंबे समय तक बैंक में रखे जाने की आपत्ति अंकेक्षण दल के द्वारा उठाए जाने पर कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सूद की राशि सरकारी बैंक में संधारित है सक्षम प्राधिकारी से दिशा निर्देश प्राप्त कर आगे की कारवाई से महालेखाकार को अवगत करायी जाय।

अतः कार्यपालक अभियंता से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

टिप्पणी–3 लेबर सेस की राशि कटौती कर अनियमित रूप से अवरूद्व रखा जाना रू 7.31लाख

केन्द्रीय अधिनियम के तहत बिहार सरकार द्वारा कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है तथा सभी कार्य विभागों से यह निर्देश दिया गया था कि सभी कार्यो से कार्य लागत का एक प्रतिशत राशि काटकर कर्मकार कन्याण बोर्ड को जमा किया जाए। कटौती की गई राशि को एक माह के अन्दर संयुक्त श्रमायुक्त सह सचिव, बिहार भवन एवं अन्य कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, विकास भवन, पटना–15 के नाम से जमा करा दिया जाए । विफलता पर लेबर सेस की राशि का 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अधिभार करने का प्रावधान भी है।

जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार के अभिलेखों का नमूना लेखा परीक्षा के क्रम में पाया गया कि **कार्यालय** द्वारा कार्य विपत्रों से लेबर सेस मद में 1 प्रतिशत की राशि की कटौती किया जा रहा था परंतु **अप्रैल 2015 से जनवरी 2017 तक लेबर सेस की कटौती की गयी राशि ₹730578/-** नियमानुसार 1 माह के अन्दर श्रमायुक्त सह सचिव के पास जमा नहीं कराया **गया था**।

उक्त आपत्ति के संबंध में कार्यालय प्रमुख द्वारा यह जवाब दिया गया कि लेबर सेस की कटौति की गयी राशि को संबंधित विभाग में जमा कर महालेखाकार कार्यालय को सुचित किया जाएगा।

अतः कार्यालय प्रमुख से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

टिप्पणी–4 रॉयल्टी की राशि कटौती कर अनियमित रूप से अवरूद्ध रखा जाना रू 15.92 लाख जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार के अभिलेखों का नमूना लेखा परीक्षा के क्रम में पाया गया कि **कार्यालय** द्वारा कार्य विपत्रों से रॉयल्टी की कटौती किया जा रहा था परंतु **अप्रैल 2015 से जनवरी 2017** तक कटौती **की गयी रॉयल्टी की राशि ₹1591686/- को खनन विभाग में जमा नहीं कराया गया ।**

कार्यालय प्रमुख के द्वारा यह जवाब दिया गया कि रॉयल्टी की कटौती की गयी राशि को संबंधित विभाग में जमा कर महालेखाकार कार्यालय को सुचित किया जाएगा।

अतः कार्यालय प्रमुख से यह अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

टिप्पणी :– 5 अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार के लेखा परीक्षा के दौरान निम्न अभिलेख अप्रस्तुत/असंधारित पाये गयेः–

1 उप प्रमंडलों की रोकड़बही
2 स्टॉक रजिस्टर
3 सम्पत्ति रजिस्टर (Assets Register)
4 स्थायी एवं अस्थायी सामग्री की स्टॉक पंजी
5 शिकायत पंजी
6 चेक निर्गत पंजी
7 Interest Bearing Register
8 Log books
9 Guard Files
10 Circular Guard Files
11. योजनाओं के संबंध में लेजर

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि सभी अप्रस्तुत दस्तावेजों को अगले अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

अतः कार्यपालक अभियंता से अनुरोध है कि इस दिशा में सकरात्मक प्रयास किए जाए ताकि अगले लेखापरीक्षा के दौरान सभी अप्रस्तुत दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

–हस्ता0–
(शंभु प्रसाद गुप्ता)
व0ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (सा0प्र0–I/स्था0नि0)